

संविदा की सामान्य शर्तें - वस्तुएं



गेल गैस लिमिटेड

संविदा की सामान्य शर्तें - वस्तुएं अनुक्रमणिका

वस्तु	शीर्षक
1.	परिभाषाएं
2.	विक्रेता को सूचना
3.	आवेदन
4.	मूल देश
5.	संविदा का कार्यक्षेत्र
6.	मानक
7.	अनुदेश, निर्देश और पत्राचार
8.	संविदा की बाध्यताएं
9.	संविदा में आशोधन
10.	संविदा दस्तावेज और सूचना का प्रयोग
11.	पेटेंट अधिकार, देयता और विनियमों का अनुपालन
12.	निष्पादन गारंटी
13.	निरीक्षण, परीक्षण और शीघ्रता
14.	समय अनुसूची और प्रगति की सूचना
15.	डिलीवरी और दस्तावेज
16.	मार्गस्थ जोखिम बीमा
17.	परिवहन
18.	आकस्मिक सेवाएं
19.	अतिरिक्त पुर्जे, रखरखाव साधन, लूब्रिकेंट्स
20.	गारंटी
21.	भुगतान की शर्तें
22.	मूल्य
23.	उप-किराए पर देना और सौंपना
24.	समय संविदा का आधार
25.	क्रेता के निष्पादन में विलंब
26.	विलंब से की गई डिलीवरी के लिए मूल्य कम करने की अनुसूची
27.	रद्द करना, रद्द उपकरण को हटाना और बदलना
28.	संविदा समाप्त करना
29.	अप्रत्याशित परिस्थितियां
30.	विवादों / मध्यस्थता पर निर्णय
31.	आधिकारिक भाषा
32.	नोटिस
33.	कर और शुल्क
34.	बही खाते और रिकार्ड
35.	परमिट और प्रमाण-पत्र
36.	सामान्य
37.	आयात लाइसेंस
38.	मूल्य में उतार-चढ़ाव शर्त (फॉल्स क्लॉज)
39.	प्रचार और विज्ञापन
40.	आदेश को दोहराना
41.	जवाबदेही की सीमा

1. परिभाषाएं

इस दस्तावेज में, संविदा की सामान्य शर्तें (जीसीसी-वस्तुएं), निम्नलिखित शब्दों का निम्नलिखित संबंधित अर्थ होगा:

- 1.0 बोलीदाता: वह व्यक्ति या कानूनी कंपनी, जिसने क्रेता के साथ किसी संविदा को लेने के उद्देश्य से कोई प्रस्ताव, निविदा या बोली लगाई है।
- 1.1 परामर्शदाता [यदि नियुक्त हो] का अर्थ मैसर्स से है, जिसका पंजीकृत कार्यालय.....में है। परामर्शदाता शब्द में उत्तराधिकारी, मैसर्स..... के वारिस शामिल हैं।
- 1.2 संविदा का अर्थ क्रय आदेश / संविदा और उसमें उल्लिखित सभी संबद्ध प्रदर्शों और दस्तावेजों तथा सभी निबंधन एवं शर्तों तथा बाद में किए गए आशोधनों से है।
- 1.3 संविदा मूल्य का अर्थ इस संविदागत बाध्यता के पूर्ण और उचित निष्पादन के लिए संविदा के अंतर्गत विक्रेता को देय मूल्य से है।
- 1.4 समापन तारीख का अर्थ उस तारीख से है, जिस तारीख को विक्रेता द्वारा माल को सफलतापूर्वक स्थापित करके क्रेता को सौंप दिया जाता है।
- 1.5 वाणिज्यिक प्रचालन का अर्थ प्रचालन की उस स्थिति से है जिसमें संविदा के अंतर्गत शामिल पूरे उपकरण को क्रेता द्वारा सरकारी रूप से विभिन्न लोड पर सतत प्रचालन के लिए उपलब्ध कराने की घोषणा की जाएगी तथा उसमें दर क्षमता शामिल होगी, की उपलब्धता की क्रेता द्वारा सरकारी रूप से घोषणा की जाएगी।
- 1.6 विदेशी बोलीदाता के साथ संविदा के मामले में आईएनसीओ शर्त 2000 के अनुसार डिलीवरी शर्तों तथा भारतीय बोलीदाता के साथ संविदा के मामले में एलआर / जीआर की तारीख की व्याख्या की जाएगी।
- 1.7 ड्राइंग का अर्थ इंजीनियरिंग ड्राइंग, योजनाएं दर्शाने वाला रेखाचित्र, आशोधन और/या संशोधन संविदा के संबंध में खंड और उत्थापन से है।
- 1.8 परियोजना साइट के इंजीनियर या इंजीनियर-प्रभारी का अर्थ साइट पर क्रेता / परामर्शदाता द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट व्यक्ति से है और इसमें वे शामिल हैं, जिन्हें उनके द्वारा इस संविदा के प्रचालन हेतु उनकी ओर से स्पष्ट रूप से अधिकृत किया गया है।
- 1.9 अंतिम स्वीकृति का अर्थ निष्पादन और गारंटी परीक्षण के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद संविदा के अंतर्गत निष्पादित कार्यों की क्रेता की लिखित स्वीकृति से है।
- 1.10 माल का अर्थ संविदा को पूरा करने के लिए क्रेता द्वारा आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं, सामग्रियों, उपकरण, डिजाइन एवं ड्राइंगों, डेटा और अन्य संपत्ति से है।
- 1.11 इंस्पेक्टर का अर्थ उस व्यक्ति या बाहरी एजेंसी से है जिसे क्रेता / परामर्शदाता द्वारा परामर्शदाता के माध्यम से उपकरण को भेजने से पूर्व

क्रेता के कार्यस्थल पर और साइट पर प्राप्त होने पर संविदा की शर्तों के अनुरूप चरणवार और अंतिम रूप से निरीक्षण करने के लिए नामित किया गया हो।

1.12 प्रारंभिक प्रचालन का अर्थ उप-प्रणालियों सहित संविदा में शामिल पूर्ण उपकरण के प्रथम आंतरिक प्रचालन और सेवा में सहायक उपकरण या सेवा की उपलब्धता से है।

1.13 क्रेता का अर्थ गेल गैस लिमिटेड से है जिसका पंजीकृत कार्यालय 16, भिकाजी कामा प्लेस, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066 (भारत) से है। क्रेता शब्द में गेल के उत्तराधिकारी, वारिस शामिल हैं।

1.14 निष्पादन और गारंटी परीक्षण का अर्थ संविदा दस्तावेज में विनिर्दिष्ट अनुसार क्षमता, दक्षता और प्रचालन विशेषताओं का निर्धारण और प्रदर्शिन करने की आवश्यकता से है।

परियोजना में एक या अधिक संविदाकारों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले माल और/या सेवाओं के योग को विनिर्दिष्ट किया गया है।

मात्रा – मात्रा का बिल

मात्रा का बिल

मात्रा की गणना करते समय उन्हें विस्तृत या निर्माण ड्राइंगों से किया जाएगा, या वास्तव में किए गए कार्य तथा माल और/या सेवाएं प्रदान न करने पर संयुक्त रूप से सहमति के अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा।

1.15 विक्रेता से अर्थ उस व्यक्ति, फर्म या कंपनी से है जिसे या क्रेता को क्रय आदेश / संविदा उपकरण, सामग्रियों और सेवाओं की आपूर्ति के लिए दी गई है। क्रेता शब्द में इसके उत्तराधिकारी और वारिस शामिल हैं।

1.16 सेवा का अर्थ निर्माण, स्थापना, जांच, चालू करना, तकनीकी सहायता के प्रावधान, प्रशिक्षण और संविदा के अंतर्गत शामिल विक्रेता की ऐसी अन्य बाध्यताओं से है।

1.17 साइट में आपूर्ति किए जाने वाले, स्थापित, जोड़े गए, समायोजित व्यवस्थित और / या स्थापित की जाने वाली वस्तुओं और/या सेवाओं में या उसके बाहर और/या किसी परिसर में भूमि को विनिर्दिष्ट किया जाता है।

1.18 विशिष्टियों का अर्थ अनुसूचियों, विवरण ब्यौरा, तकनीकी आंकड़ों के वितरण, निष्पादन विशेषताओं, मानकों (भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय) से है जो संविदा में लागू और विनिर्दिष्ट हैं।

1.19 उप-संविदा का अर्थ विक्रेता द्वारा क्रेता की आवश्यक सहमति और अनुमोदन के बाद संविदागत कार्य के किसी भी भाग हेतु दिए गए आर्डर से है।

- 1.20 उप-संविदाकार का अर्थ उस व्यक्ति से है जिसे कार्य के किसी भाग के लिए संविदा में नामित किया गया है या ऐसे व्यक्ति जिसे संविदा का कोई भाग परामर्शदाता / क्रेता के लिखित में सहमति से विक्रेता द्वारा उप-किराए पर दिया गया है और इसमें कानूनी प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी, और ऐसे व्यक्ति के अनुमेय वारिस शामिल होंगे।
- 1.21 स्टार्ट-अप का अर्थ संविदा के अंतर्गत किसी निष्क्रिय अवस्था में पड़े उपकरणों को लाने के लिए आवश्यक उस समयावधि से है, जब निर्माण परीक्षण प्रचालन हेतु तैयारी के अनुसार अनिवार्य रूप से पूरा हो। स्टार्ट-अप अवधि में प्रारंभिक निरीक्षण और उपकरण और सहायक उप-प्रणालियों की जांच, संविदा के अंतर्गत कवर किए गए पूर्ण उपकरणों का प्रारंभिक संचालन, आवश्यक पूर्व-परीक्षण प्रचालन आंकड़े प्राप्त करना, अंशांकन और सुधारात्मक कार्रवाई करना, शटडाउन निरीक्षण और परीक्षण संचालन अवधि से पूर्व समायोजन करना शामिल है।
- 1.22 परीक्षण का अर्थ विक्रेता द्वारा की जाने वाली ऐसी प्रक्रिया या प्रक्रियाओं से है, जैसा कि संविदा में निर्धारित किया गया है या गुणवत्ता या कर्म-कौशल, निष्पादन और दक्षता का पता लगाने के लिए क्रेता या उसके प्रतिनिधि द्वारा आवश्यक माना जाता है।
- 1.23 समापन पर परीक्षण का अर्थ संविदा में निर्धारित अनुसार विक्रेता द्वारा किए जाने वाले ऐसे परीक्षण से है जिसे क्रेता द्वारा अधिग्रहित किया जाना है।
2. विक्रेता को सूचना
- 2.1 विक्रेता को अपनी पूरी संतुष्टि पर, सभी संविदा दस्तावेजों को सावधानीपूर्वक जांच किया गया माना जाएगा। किसी भी जानकारी के अभाव में, विक्रेता संविदा के अंतर्गत उसके दायित्व को पूरा करने की अपनी ज़िम्मेदारी से किसी भी तरह से मुक्त नहीं होगा।
3. आवेदन
- 3.1 संविदा की ये सामान्य स्थितियां (जीसीसी-माल) उस सीमा तक लागू होंगे, जिनका संविदा के अन्य भागों के प्रावधानों से अधिक्रमण न हो जाए।
4. मूल देश
- 4.1 इस खंड "मूल" के इस प्रयोजन का अर्थ उस स्थल से है जहां सामग्री का खनन किया गया, उगाया या उत्पादित किया गया, या जिनसे सेवाएं दी गई हैं। माल का उत्पादन तब होता है जब घटकों की प्रोसेसिंग या पर्याप्त और प्रमुख संयोजन के माध्यम से, कोई व्यावसायिक रूप से मान्य नया उत्पाद बनता है जो मूलभूत विशेषताओं या उद्देश्य या उपयोगिता में इसके घटकों से काफी भिन्न होता है।
5. संविदा का कार्यक्षेत्र
- 5.1 संविदा के दायरे के अनुसार क्रय आदेश / संविदा विनिर्देशों, चित्रों और अनुलग्नक में परिभाषित किया जाएगा।
- 5.2 उपकरणों की पूर्णता विक्रेता की जिम्मेदारी होगी। कोई भी उपकरण, फिटिंग और सहायक उपकरण जिनका विशेष रूप से विनिर्देशों या चित्रों

में उल्लेख नहीं हो सकता है, लेकिन जो उपकरण के संतोषजनक कामकाज (उपकरणों का सफल संचालन और चालू अवस्था में रखना विक्रेता की जिम्मेदारी है) के लिए सामान्य या आवश्यक हैं, उन्हें विक्रेता द्वारा बिना किसी अतिरिक्त लागत के प्रदान किया जाएगा।

- 5.3 विनिर्देशों में किसी भी चूक के बावजूद उच्च ग्रेड उपकरणों के निर्माण में विक्रेता सर्वोत्तम आधुनिक पद्धतियों का पालन करेगा। इन दस्तावेजों का सही आशय और अर्थ यह है कि विक्रेता सभी तरह से डिजाइन, इंजीनियर, निर्माण और उपकरणों की कार्यशील ढंग से आपूर्ति करेगा तथा निर्धारित समय में क्रेता की पूरी संतुष्टि के लिए आपूर्ति करेगा।
- 5.4 विक्रेता, तकनीकी दस्तावेजों की अंग्रेजी भाषा में बारह (12) प्रतियां, अंतिम ड्राइंग, संरक्षण निर्देश, संचालन और रखरखाव नियमावली, परीक्षा प्रमाणपत्र, सभी उपकरणों के लिए स्पेयर पार्ट्स कैटलॉग, क्रेता को प्रस्तुत करेगा।
- 5.5 विक्रेता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज पूर्ण और अंतिम होंगे तथा इनमें बाद में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। गलत आंकड़े / ड्राइंगें प्रस्तुत करने के कारण, क्रेता / परामर्शदाता को हुए किसी भी नुकसान के लिए विक्रेता जिम्मेदार होगा।
- 5.6 सभी आयाम और वजन मीट्रिक प्रणाली में होने चाहिए।
- 5.7 संविदा के अंतर्गत किए जाने वाले सभी उपकरण और कार्य संगत नियमों / अधिनियमों (राज्य सरकार या केंद्र सरकार) के प्रावधानों के अनुरूप होंगे जैसा कि प्रयुक्त उपकरण / किए गए कार्य के प्रकार और इनके लिए आवश्यक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे।
- 5.8 स्पेयर पार्ट नंबरों और उनके स्थान की पहचान करने के लिए विक्रेता, जहां भी लागू हो, क्रास सेक्शनल ड्राइंगें प्रदान करेगा। बियरिंग्स का आकार, उनका मेक और नंबर प्रस्तुत किया जाएगा।
- 5.9 विक्रेता को आरएफक्यू और संविदा के साथ जारी निर्दिष्टियां, डिजाइन और ड्राइंग बेचे नहीं जाते बल्कि उन्हें ऋण पर दिया जाता है। ये क्रेता / परामर्शदाता या उनके वारिस की संपत्ति होगी और इन्हें क्रेता / परामर्शदाता द्वारा वापस लिया जा सकेगा। विक्रेता और उसके कर्मचारी संविदा के अनुसार निर्माण के अलावा किसी भी समय किसी भी उद्देश्य के लिए ड्राइंगों, विनिर्देशों और तकनीकी सूचना का उपयोग नहीं करेंगे और इसकी सूचना किसी भी व्यक्ति, फर्म या कॉर्पोरेट निकाय को क्रेता / परामर्शदाता की लिखित में अनुमति के बिना नहीं देंगे। ये सभी विवरण गोपनीय रखे जाएंगे।
- 5.10 विक्रेता संविदा में दिए गए निर्देशों के अनुसार उपकरणों को पैक और चिह्नित करेगा तथा प्रेषण करने की व्यवस्था करेगा।

6. मानक

- 6.1 संविदा के अंतर्गत आपूर्ति की गई वस्तुएं तकनीकी विनिर्देशों में उल्लिखित

डिस्क्लेमर: अंग्रेजी और उसके हिंदी अनुवाद में किसी भी विसंगति के मामले में, व्याख्या और कानूनी पहलुओं के लिए, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

Disclaimer: In case of any discrepancy in English & its Hindi translation, for interpretation and legal aspects, the English version shall prevail.

मानकों या ऐसे अन्य मानकों के अनुरूप होनी चाहिए, जो समान या उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें, और जहां किसी लागू मानक का उल्लेख न किया गया हो, वहां मूल देश की सामग्री के लिए अधिकृत उपयुक्त मानक और ऐसे मानक संबंधित संस्थान द्वारा जारी नवीनतम मानक लागू होंगे।

7. अनुदेश, निर्देश और पत्राचार

- 7.1 संविदा में उल्लिखित सामग्रियों को संविदा के साथ संलग्न मानकों, डेटा शीट, तालिकाओं, विनिर्देशों और / या उनके साथ संलग्न ड्राइंगों, तथा संविदा के साथ संलग्न सभी शर्तों, चाहे सामान्य हों या विशिष्ट, दोनों की आपूर्ति की जाएगी, जब तक कि किसी भी या सभी को लिखित रूप में संपूर्ण या आंशिक रूप में संशोधित या रद्द न कर दिया गया हो।
- क. विक्रेता के लिए सभी निर्देश और आदेश, जो कि यहां प्रदान किए गए हैं, को छोड़कर, क्रेता / परामर्शदाता द्वारा दिए जाएंगे।
- ख. सभी कार्य क्रेता / परामर्शदाता के निर्देशानुसार और उसकी संतुष्टि के अनुसार किए जाएंगे।
- ग. तकनीकी / व्यावसायिक स्पष्टीकरण और / या टिप्पणियों सहित सभी पत्राचार परामर्शदाता को संबोधित करते हुए पांच प्रतियों में किया जाएगा, जिसकी एक प्रति क्रेता को दी जाएगी तथा इसमें संविदा का संदर्भ हमेशा दिया जाएगा।
- घ. संविदा के लिए भुगतान का चालान क्रेता को संबोधित किया जाएगा।
- ड. संविदा संख्या सभी चालान, पत्राचार, पैकिंग सूचियों, कंटेनरों और लदान बिल आदि पर प्रदर्शित किए जाएंगे।

8. संविदा बाध्यताएं

- 8.1 यदि संविदा प्रदान करने के बाद, विक्रेता संविदा की प्राप्ति को स्वीकार नहीं करता है या निर्धारित समय-सीमा के भीतर निष्पादन गारंटी प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो क्रेता को संविदा रद्द करने और इस संविदा की निबंधन एवं शर्तों के अंतर्गत उपलब्ध सभी समाधान लागू करने का अधिकार होगा।
- 8.2 यदि संविदा की पुष्टि किए जाने और हस्ताक्षरित होने के बाद, उसमें दी गई निबंधन एवं शर्तों को विक्रेता की बोली और पिछले सभी पत्राचार के अनुसार लागू किया जाएगा।

9. संविदा में आशोधन

- 9.1 संविदा में संशोधन जारी करने के लिए, तकनीकी और / या वाणिज्यिक पहलुओं के संबंध में संविदा में हुए परिवर्तनों के लिए सभी संशोधनों को तभी मान्य माना जाएगा, जब इसे क्रेता / परामर्शदाता द्वारा लिखित रूप में स्वीकार किया जाएगा। ऐसे मामलों में स्वीकृति जारी करने या अन्यथा सहमत सुपुर्दगी तारीख को बढ़ाने का कोई आधार नहीं होगा और यह संविदा में संशोधन द्वारा परस्पर सहमत सीमा के अलावा, किसी भी तरह से संविदा के निष्पादन को प्रभावित नहीं करेगा।
- 9.2 क्रेता / परामर्शदाता किसी भी मुद्रित शर्तों या विक्रेता के बोली प्रपत्र में प्रावधानों या संविदा की पावती, चालान, पैकिंग सूची और अन्य दस्तावेजों से बाध्य नहीं होगा जिनका उद्देश्य संविदा से या उसके पूरक से भिन्न किसी शर्त को लागू किया जाना हो।

10. संविदा दस्तावेज और सूचना का प्रयोग
- 10.1 विक्रेता, क्रेता / परामर्शदाता की पूर्व लिखित सहमति के बिना संविदा के किसी भी प्रावधान या किसी विनिर्देश, योजना, ड्राइंग, पैटर्न, नमूना को क्रेता की ओर से या उसके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी का किसी व्यक्ति, जो संविदा के निष्पादन में विक्रेता द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति के अलावा हो, को खुलासा नहीं करेगा। ऐसे नियोजित व्यक्ति को खुलासा गोपनीयता की दृष्टि से किया जाएगा और केवल उस सीमा तक दिया जाएगा जो ऐसे निष्पादन के उद्देश्य के लिए आवश्यक हो।
- 10.1 विक्रेता संविदा को निष्पादित करने के उद्देश्य के अलावा, क्रेता की पूर्व लिखित सहमति के बिना, अनुच्छेद 10.1 में उल्लिखित किसी दस्तावेज या सूचना का उपयोग नहीं करेगा।
11. पेटेंट अधिकार, देयताएं और विनियमों का अनुपालन
- 11.1 विक्रेता एतद्वारा यह गारंटी देता है कि यहां दी गई सामग्रियों के उपयोग या बिक्री में ऐसी सामग्री से संबंधित किसी भी पेटेंट के दावों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा और विक्रेता अपने खर्च पर किसी भी ऐसे कथित पेटेंट के आधार पर क्रेता के खिलाफ दायर सभी मुकदमों और कार्यवाहियों के खिलाफ लड़ने के लिए सहमति देता है और पेटेंट के उल्लंघन के ऐसे आरोपों और सभी लागत, व्यय और नुकसान, जो कि क्रेता और / या परामर्शदाता को किसी भी कारण से ऐसे किसी मुकदमे या कार्यवाही के कारण भुगतान या खर्च करना पड़ सकता है, का भुगतान करेगा।
- 11.2 विक्रेता, क्रेता के देश के सामान या उसके किसी भी भाग के उपयोग से उत्पन्न होने वाले पेटेंट, ट्रेडमार्क या औद्योगिक डिजाइन अधिकारों के उल्लंघन के सभी तृतीय पक्ष दावों की क्रेता को क्षतिपूर्ति करेगा।
- 11.3 विक्रेता भी संविदा को लागू करते समय, क्रेता के कार्यकर्ता / कर्मचारियों या उनके उत्तराधिकारियों, आश्रितों, प्रतिनिधियों, आदि के किसी भी दावे से या किसी अन्य व्यक्ति / व्यक्तियों या निकायों/ कंपनियों आदि की किसी भी भूल-चूक के लिए सुरक्षा प्रदान करेगा और पूरी क्षतिपूर्ति करेगा।
- 11.4 विक्रेता, कानून के अंतर्गत सभी आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए उत्तरदायी होगा और किसी भी उल्लंघन से उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे / दंड से क्रेता को पूरी तरह से सुरक्षित रखेगा और उसकी क्षतिपूर्ति करेगा।
12. निष्पादन गारंटी
- 12.1 संविदा प्रदान करने की अधिसूचना की विक्रेता की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर, विक्रेता बोली दस्तावेज में प्रदान किए गए फॉर्म में बैंक गारंटी / अप्रतिसंहरणीय साख पत्र के रूप में क्रेता को निष्पादन गारंटी प्रस्तुत करेगा, जो संविदा के कुल मूल्य की 10% समतुल्य राशि के बराबर होगी।
- 12.2 निष्पादन की गारंटी की राशि को विक्रेता द्वारा संविदा के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहने के कारण किसी भी हानि के लिए

मुआवजे के रूप में क्रेता द्वारा किसी भी अधिकार या समाधान को बिना किसी पूर्वाग्रह के संविदा की निबंधन एवं शर्तों, जिसके लिए क्रेता हकदार है, के अनुसार समायोजित किया जाएगा। इस निष्पादन गारंटी की राशि संविदागत वारंटी/ गारंटी की संपूर्ण अवधि के दौरान माल और सेवाओं के सफल निष्पादन को भी नियंत्रित करेगी।

- 12.3 निष्पादन गारंटी संविदा की मुद्रा में प्रदान की जाएगी।
- 12.4 निष्पादन गारंटी, वारंटी / गारंटी अवधि की समाप्ति से 90 दिनों की अवधि के लिए मान्य होगी। संविदा के अंतर्गत विक्रेता की संपूर्ण बाध्यताओं की तारीख, जो 6 माह से अधिक नहीं होगी, की समाप्ति पर बैंक गारंटी को क्रेता द्वारा भुना लिया जाएगा।
13. निरीक्षण, परीक्षण और शीघ्रता
- 13.1 क्रेता या उसके प्रतिनिधि को संविदा निर्दिष्टियों के अनुरूप परीक्षण करने और / या सामान का परीक्षण करने का अधिकार होगा। संविदा की विशेष शर्तों और/या तकनीकी निर्दिष्टियां यह निर्धारित करेंगी कि क्रेता क्या परीक्षण और जांच कराना चाहता है और ये कहां की जाएंगी। क्रेता इन प्रयोजनों के लिए रखे गए किसी भी प्रतिनिधि(यों) की पहचान को विक्रेता को लिखित में सूचित करेगा।
- 13.2 निरीक्षण और परीक्षण विक्रेता या उसके उप-संविदाकार(रों) के परिसर में डिलीवरी के समय और/ या सामान के अंतिम गंतव्य स्थल पर किया जाएगा। जब परीक्षण विक्रेता या उनके उप-ठेकेदार(रों) के परिसर में किया जाता है, तो ड्राइंगों और उत्पादन डेटा की उपलब्धता सहित सभी उचित सुविधाएं और सहायता क्रेता से कोई शुल्क लिए बिना निरीक्षक को दी जाएंगी।
- 13.3 यदि कोई निरीक्षण या जांच किया जाने वाला सामान विनिर्देशों के अनुरूप नहीं पाया जाता है तो क्रेता उन्हें अस्वीकार कर सकता है और विक्रेता या तो खराब सामान को बदलेगा या विनिर्देशों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक सभी बदलाव क्रेता को निःशुल्क उपलब्ध कराएगा।
- 13.4 क्रेता के देश में सामान पहुंचने के बाद क्रेता को सामान का निरीक्षण एवं परीक्षण करने और जहां आवश्यक हो, वहां सामान को रद्द करने का अधिकार होगा, जो किसी भी तरह से इस कारण तक सीमित नहीं होगा या माफ नहीं किया जाएगा कि क्रेता या उसके प्रतिनिधि द्वारा मूल देश से सामान के शिपमेंट से पूर्व इसकी जांच और परीक्षण करके इसे पास कर दिया गया था।
- 13.5 निरीक्षक संविदा के अंतर्गत माल के निर्माण की प्रगति यह देखने के लिए सुनिश्चित करेगा कि संविदा में उल्लिखित आवश्यकताओं को अनुसूची और गुणवत्ता के संबंध में नहीं बदला जा रहा है।
- 13.6 विक्रेता, निरीक्षक को कार्य के घंटों के दौरान संविदा की वैधता की संपूर्ण अवधि के दौरान संविदा के निष्पादन के लिए संगत कार्यशाला को देखने की अनुमति देगा।

- 13.7 क्रेता के प्रतिनिधियों को समय से प्रविष्टि वीजा प्राप्त करने के लिए, विक्रेता मुख्य उपकरणों को जोड़ने, जांच और पैकिंग से दो माह पहले क्रेता को अधिसूचित करेगा। यदि अनुरोध किया जाता है, तो विक्रेता न्यूनतम संभव समय (केवल विदेशी आर्डर के मामले में ही लागू) में वीजा प्राप्त करने में क्रेता के प्रतिनिधियों की सहायता करेगा।
- 13.8 विक्रेता निरीक्षक को सभी औजार, उपकरण, और अन्य उपस्कर, जो निरीक्षण और / या सामानों के परीक्षण के लिए जरूरी होंगे, उपलब्ध कराएगा। निरीक्षक सामान और / या सामग्रियों के उपयोग और प्रेषण पर रोक लगाने का अधिकार है, जो परीक्षण और निरीक्षण के दौरान सामान के लिए आवश्यक विशेषताओं के अनुरूप नहीं पाए गए हैं।
- 13.9 विक्रेता निरीक्षण कार्यक्रम में किसी भी विलंब को जल्द से जल्द लिखित रूप में सूचित करेगा, जिसमें विलंब के कारणों और प्रस्तावित सुधारात्मक कार्रवाई का विस्तार से उल्लेख किया जाएगा।
- 13.10 आम तौर पर सभी परीक्षण और जांच, जिनमें उन विक्रेताओं द्वारा निर्मित न की गई सामग्रियां भी शामिल हैं, को भी निरीक्षक द्वारा देखा जाएगा। इसलिए, विक्रेता कम से कम 30 दिनों का नोटिस देते हुए क्रेता को निश्चित तारीख के बारे में फैक्स या ई-मेल से पुष्टि करेगा। विक्रेता, परीक्षण के लिए तैयार माल और मात्रा निर्दिष्ट करेगा और यह बताएगा कि प्रारंभिक या अंतिम परीक्षण किया जाना चाहिए।
- 13.11 यदि इस नोटिस की प्राप्ति पर, क्रेता जांच को देखने का अधिकार माफ करना चाहता है, तो तदनुसार समय पर जानकारी दी जाएगी।
- 13.12 जांच के संबंध में किया गया कोई और सभी खर्च, मान्यता-प्राप्त प्रयोगशालाओं द्वारा तैयार की गई रिपोर्टें और विघ्नेषण, आवश्यक तकनीकी दस्तावेज, परीक्षण दस्तावेज और ड्राइंग विक्रेता की लागत पर होंगे। तकनीकी दस्तावेजों में निर्माण में उपयोग किए जाने वाले मानकों का संदर्भ और संख्याएं शामिल होंगी और जहां भी निरीक्षक द्वारा व्यावहारिक समझा जाएगा, ऐसे मानकों की प्रतिलिपि की जाएगी।
- 13.13 संविदा के अंतर्गत अनुच्छेद 13 में कोई भी कुछ भी विक्रेता किसी भी वारंट से रिलीज नहीं करेगा
- 13.13 अनुच्छेद 13 में कोई भी इस संविदा के अंतर्गत किसी भी वारंटी या अन्य दायित्वों से विक्रेता को किसी भी तरह से मुक्त नहीं करेगा।
- 13.14 भारतीय सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा अपेक्षित सभी निरीक्षण, और तकनीकी विनिर्देशों में उल्लिखित अनुसार व्यवस्थाएं विक्रेता द्वारा की जाएंगी।
- 13.15 परेषिती द्वारा सामग्रियों का निरीक्षण और रद्द करना
जब परेषिती द्वारा सामान को रद्द कर दिया जाता है, तो आपूर्तिकर्ता को

ऐसी रद्द की गई सामग्रियों के साथ-साथ उनके अस्वीकार किए जाने के कारणों के बारे में भी बताया जाएगा, जहां ऐसी सामग्री संविदाकार / आपूर्तिकर्ता के जोखिम और लागत पर पड़ी है। आपूर्तिकर्ता को या तो सामग्री को हटाने या उसका निपटान 14 दिनों के भीतर करने के लिए कहा जाएगा, और यदि यह सामग्री खतरनाक, संक्रमित और खराब होने वाली हो तो उसे 48 घंटों के भीतर हटाने का निर्देश दिया जायेगा, ऐसा न करने पर वह सामान या तो संविदाकार को लौटा दिया जाएगा जिसका भाड़े का भुगतान उसके द्वारा किया जाएगा, या अन्यथा उसका निपटान संविदाकार के जोखिम और लागत पर किया जाएगा। क्रेता उस अवधि, जिसके दौरान रद्द की गई सामग्रियों को हटाया नहीं जाता, तो प्रत्येक माह या माह के किसी भाग के लिए सामग्री के मूल्य के 5% की दर से रखरखाव और भंडारण प्रभार की वसूली करने के लिए पात्र होगा।

14. समय अनुसूची और प्रगति की सूचना

14.1 समय अनुसूची नेटवर्क / बॉर चार्ट

14.1.1 विक्रेता संविदा की पुष्टि सहित सामान के प्रलेखन, निर्माण, जांच, आपूर्ति, निर्माण और कमीशन के बारे में अपनी समय अनुसूची क्रेता को प्रस्तुत करेगा।

14.1.2 समय-अनुसूची एक नेटवर्क या एक बॉर चार्ट के रूप में होगी जो स्पष्ट रूप से दस्तावेजों, कच्चे माल की आपूर्ति, निर्माण, परीक्षण, वितरण, उत्थापन और स्थापना के संबंध में सभी मुख्य या महत्वपूर्ण घटनाओं का दर्शाएगा।

14.1.3 विक्रेता का मूल मुद्दा और बाद में हुए संशोधनों की समय-तालिका क्रेता को भेजी जाएगी।

14.1.4 समय-अनुसूची नेटवर्क / बॉर चार्ट को कम से कम प्रत्येक दूसरे महीने अद्यतन बनाया जाएगा।

14.2 प्रगति रुझान चार्ट / मासिक रिपोर्ट

14.2.1 विक्रेता संविदा के निष्पादन की प्रगति और समय-बार चार्ट में निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि पर, क्रेता मासिक रिपोर्ट देगा।

14.2.2 समय-अनुसूची विनिर्देश से संबद्ध प्रगति के रुझान चार्ट में प्रगति को प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाएगा।

14.2.3 प्रगति रुझान चार्ट का पहला अंक संविदा की पुष्टि के साथ समय-बार चार्ट के सहित अग्रेषित किया जाएगा।

14.3.1 क्रेता / परामर्शदाता के प्रतिनिधियों को विक्रेता की समय-अनुसूची दस्तावेजों के आधार पर कार्य की वास्तविक प्रगति के मूल्यांकन के लिए विक्रेता के परिसर का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

14.3.2 ऐसे निरीक्षण के बावजूद, विक्रेता, परामर्शदाता को प्रगति में किसी भी प्रत्याशित विलंब की संभावित तारीख के बारे में बताएगा, और इसकी प्रतिलिपि क्रेता को भी देगा।

14.4 उपर्युक्त के बावजूद, यदि विभिन्न चरणों में करार के निष्पादन पर प्रगति चरणबद्ध समय अनुसूची के अनुसार नहीं होती है और क्रेता / परामर्शदाता की राय में यह संतोषजनक नहीं है, जो निर्णायक होगा या विक्रेता संविदा को उचित विचार-विमर्श के बाद निष्पादित करने की उपेक्षा करता है या संविदा के प्रावधानों का सोच-समझकर उपेक्षा या उल्लंघन करता है, तो क्रेता/ परामर्शदाता, विक्रेता को असफलता, उपेक्षा या उल्लंघन की शिकायत को दुरस्त करने के लिए लिखित रूप में नोटिस दे सकता है। यदि विक्रेता, क्रेता / परामर्शदाता द्वारा उचित मानी गई अवधि के भीतर ऐसे नोटिस का अनुपालन करने में विफल रहता है, तो क्रेता / परामर्शदाता को यह विकल्प होगा और संविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से विक्रेता से वापस लेने का अधिकार होगा और विक्रेता के जोखिम और लागत पर संविदा की आवश्यकताओं को प्राप्त करने या पूरा करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करेगा, तथा इस पर क्रेता द्वारा खर्च की गई सभी अतिरिक्त लागत को विक्रेता से वसूलेगा। ऐसी स्थिति में, विक्रेता / परामर्शदाता किसी भी हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा जो विक्रेता को लगाया जा सकता है और विक्रेता किसी भी लाभ के हकदार नहीं होंगे। इसके अलावा क्रेता / परामर्शदाता को निष्पादन गारंटी को पूर्ण या आंशिक रूप से भुनाने का अधिकार होगा।

15. डिलीवरी और दस्तावेज

15.1 विक्रेता द्वारा माल की डिलीवरी संविदा में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार की जाएगी, और डिलीवरी के पूरा होने तक सामान विक्रेता के जोखिम पर रहेगा।

15.2 डिलीवरी इस तरह से की गई मानी जाएगी:

- क) एफओबी, सीएफआर और सीआईएफ संविदाओं के मामले में, जब सामान को लदान वाले विशिष्ट बंदरगाह पर जहाज में लाद दिया गया हो और एक स्पष्ट लदान बिल प्राप्त किया जाता है। लदान बिल की तारीख को डिलीवरी की तारीख माना जाएगा।
- ख) एफओटी प्रेषण स्थल संविदा (भारतीय बोलीदाता के लिए) के मामले में, यह प्रमाण होने पर कि सामान को वाहक पर लादा जा चुका है और सामान की रसीद की एक परक्राम्य प्रति प्राप्त हो गई है। एलआर / जीआर की तारीख को डिलीवरी की तारीख माना जाएगा।
- ग) एफओटी साइट (भारतीय बोलीदाताओं के लिए) के मामले में विनिर्दिष्ट स्थल(लों) में क्रेता / परामर्शदाता द्वारा सामान के प्राप्त होने पर।

15.3 डिलीवरी शर्तें बाध्यकारी और अनिवार्य हैं और परिणामस्वरूप, क्रेता / परामर्शदाता की लिखित मंजूरी के बिना किसी विलंब की अनुमति नहीं दी जाती। संविदा में संशोधन द्वारा क्रेता/ परामर्शदाता द्वारा स्वीकार किए बिना कोई भी विलंब मान्य नहीं माना जाएगा।

15.4 डिलीवरी समय में अनुमोदन हेतु ड्राइंगों को प्रस्तुत करने का समय, टिप्पणियों, यदि कोई हो, को शामिल करने और क्रेता/ परामर्शदाता द्वारा ड्राइंगों का अंतिम अनुमोदन शामिल होगा।

- 15.5 डिलीवरी में देरी होने की स्थिति में, अनुच्छेद 26 में निर्धारित अनुसार मूल्य कटौती अनुसूची लागू होगी।
- 15.6 दस्तावेज़ को अंग्रेजी भाषा में उचित समय में और संविदा में विनिर्दिष्ट अनुसार उचित रूप में तथा अपेक्षित संख्या में डिलीवर किया जाएगा।
- 15.7 अंतिम ड्रॉइंग और निर्देशों की अतिरिक्त प्रतियां, उचित रूप में लिफाफे में और सुरक्षित रूप में माल के पैकेज में दी जाएंगी।
- 15.8 विक्रेता को पैकिंग, मार्किंग और शिपिंग दस्तावेज़ के विनिर्देशों का अनुपालन करना चाहिए।

16. मार्गस्थ जोखिम बीमा

- 16.1 संविदा के अंतर्गत आपूर्ति किया गया सभी सामान निर्माण या अधिग्रहण, परिवहन, भंडारण और डिलीवरी हेतु किसी आकस्मिक हानि या क्षति के लिए आसानी से परिवर्तनीय मुद्रा में पूरी तरह से बीमाकृत होगा।
- 16.2 जहां डिलीवरी एफओबी या सीएफआर आधार पर होती है, वहां समुद्री बीमा क्रेता की जिम्मेदारी होगी। बीमा आवश्यकताएं:

स्वदेशी बोलीदाता: एफ.ओ.टी. प्रेषण स्थल के बाद से मार्गस्थ जोखिम बीमा को गेल गैस द्वारा व्यवस्थित और वहन किया जाएगा।

विदेशी बोलीदाता: क्रेता के देश में समुद्री बीमा और मार्गस्थ बीमा की व्यवस्था और वहन गेल गैस द्वारा किया जाएगा।

विक्रेता यह सुनिश्चित करेगा कि सामग्रियों को प्रेषित करने में, सुरक्षित संचलन के लिए वाहकों की प्राथमिक जिम्मेदारी को हमेशा बनाए रखा जाता है ताकि क्रेता के हितों को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जा सके और इसे खतरे में डाल दिया जाए। विक्रेता प्रत्येक उपकरण की सामग्री की लागत प्रस्तुत करेगा।

16.2 क्रेता का बीमा एजेंट:

[एससीसी के अंतर्गत उल्लिखित अनुसार नाम और पता]

17. परिवहन

- 17.1 जहां माल की बिक्री के लिए संविदा एफओबी को डिलीवर करने के लिए विक्रेता की आवश्यकता होती है, वहां डिलीवरी होने तक सामान की ढुलाई, अर्थात् निर्दिष्ट लदान बंदरगाह में निर्यात परिवहन के लिए जहाज पर सामान लादने तक की व्यवस्था और भुगतान विक्रेता द्वारा किया जाएगा तथा उसकी लागत को संविदा मूल्य में शामिल किया जाएगा।
- 17.2 जहां सामान सीएफआर या सीआईएफ को डिलीवर करने के लिए संविदा के अंतर्गत विक्रेता की आवश्यकता होती है, वहां प्रेषण बंदरगाह तक माल का परिवहन या गंतव्य देश में ऐसे अन्य स्थल को संविदा में विनिर्दिष्ट किया जाएगा और इसकी व्यवस्था और भुगतान विक्रेता द्वारा किया जाएगा, तथा इसकी लागत को संविदा मूल्य में शामिल की जाएगी।

18. आकस्मिक सेवाएं

- 18.1 विक्रेता से निम्न या सभी सेवाएं प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है:
- 18.1.1 ऑनसाइट असेंबली का निष्पादन या पर्यवेक्षण और / या आपूर्ति किए गए सामानों का स्टार्ट-अप:
- 18.1.2 आपूर्ति किए गए सामान की असेम्बली और / या रखरखाव के लिए अपेक्षित फर्नीशिंग उपकरण:
- 18.1.3 पक्षकारों द्वारा स्वीकृत समय की अवधि के लिए, आपूर्ति की गई वस्तुओं का निष्पादन या पर्यवेक्षण या रखरखाव और / या मरम्मत, बशर्ते कि इस सेवा से विक्रेता संविदा के अंतर्गत किसी भी वारंटी/ गारंटी के दायित्वों से मुक्त नहीं हो जाएगा।
- 18.1.4 क्रेता के संयंत्र पर असेंबली, स्टार्ट-अप प्रचालन, आपूर्ति की गई वस्तुओं का रखरखाव और / या मरम्मत बिना किसी अतिरिक्त लागत के दी जाएगी। तथापि, क्रेता प्रशिक्षुओं के आवास और ठहरने तथा व्यक्तिगत व्यय को वहन करेगा।
- 18.2 पूर्ववर्ती आकस्मिक सेवाओं के लिए विक्रेता द्वारा लिया गया मूल्य, समान सेवाओं के लिए विक्रेता द्वारा अन्य पक्षकारों से ली जाने वाली प्रचलित दरों से अधिक नहीं होगा।
- 18.3 जब अपेक्षित होगा, विक्रेता परस्पर सहमत शर्तों पर क्रेता द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के लिए साइट पर आवश्यक कार्मिक तैनात करेगा और / या उपकरण का निर्माण करेगा। क्रेता का कार्मिक क्रेता द्वारा दिए गए नोटिस की तारीख से आपातकालीन कार्रवाई के लिए सात दिनों के भीतर और मध्यम और दीर्घकालिक सहायता के लिए इक्कीस दिन के भीतर साइट पर उपलब्ध होगा।
- 18.4 आकस्मिक सेवाओं की लागत उद्धृत कीमतों में शामिल नहीं होगी। लागू होने वाली आकस्मिक सेवाओं की कीमत अलग-अलग मूल्य अनुसूचियों में दर्शाई जानी चाहिए।

19. अतिरिक्त पुर्जे, रखरखाव साधन, लूब्रिकैंट्स

- 19.1 विक्रेता को क्रेता द्वारा निर्मित या वितरित किसी अतिरिक्त पुर्जे से संबंधित निम्नलिखित किसी या सभी सामग्रियों को उपलब्ध कराने की आवश्यकता हो सकती है।
- 19.1.1 क्रेता ऐसे अतिरिक्त पुर्जों को विक्रेता से खरीदने का विकल्प चुन सकता है, बशर्ते कि उसके द्वारा विकल्प चुनने से विक्रेता संविदा के अंतर्गत किसी वारंटी दायित्वों से मुक्त नहीं हो जाएगा, और
- 19.1.2 अतिरिक्त पुर्जों के उत्पादन की समाप्ति की स्थिति में:
- i) लंबित समाप्ति के बारे में क्रेता को अग्रिम अधिसूचना देना, क्रेता को अपेक्षित आवश्यकताओं की खरीद के लिए पर्याप्त समय देना।
- ii) ऐसी समाप्ति के बाद, क्रेता को ब्लू प्रिंट, डाइंगों और अतिरिक्त पुर्जों की विशिष्टियों, यदि कोई हो, को अनुरोध करने पर बिना किसी लागत के प्रस्तुत किया जाएगा।

- 19.2 विक्रेता प्रत्येक मद के अतिरिक्त पुर्जों और रखरखाव उपकरण की आवश्यकताओं के मूल्य के साथ ऐसे पुर्जों / रखरखाव उपकरणों के लिए निर्माताओं / विक्रेताओं के पूर्ण विवरण की मद-वार सूची प्रस्तुत करेगा :
- 19.2.1 निर्माण, निष्पादन और चालू करना।
- 19.2.2 दो वर्ष का संचालन और रखरखाव।
- 19.3 इंजीनियरी मानकों / कोड के अनुसार अतिरिक्त पुर्जे नए और प्रथम श्रेणी के गुणवत्ता वाले होंगे, जो किसी भी दोष (यहां तक कि छुपाए गए), डिज़ाइन, सामग्री और कारीगरी में कमी से मुक्त होंगे और इन्हें संबंधित पुर्जों के साथ पूरी तरह से बदला जा सकेगा।
- 19.4 बीयरिंग के प्रकार और आकार को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा।
- 19.5 उपयुक्त मामलों में उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त पुर्जों को दीर्घावधि भंडारण की दृष्टि से पैक किया जाएगा, जिसे स्पष्ट रूप से वांछित उद्देश्य के रूप में चिह्नित किया गया है।
- 19.6 सामान के लिए सामान्य रखरखाव और विशेष हैंडलिंग और उठाने वाले उपकरण, यदि कोई हों, के लिए अपेक्षित विशेष उपकरण और गेज की सूची क्रेता को प्रस्तुत की जाएगी।
- 19.7 बोलीदाताओं को यह नोट करना चाहिए कि यदि वे उपरोक्त धारा 19.2 का अनुपालन नहीं करते हैं, तो उनका उद्धरण अस्वीकार किया जा सकता है।
- 19.8 लूब्रिकेंट
- 19.8.1 जहां-कहीं लूब्रिकेंट की आवश्यकता होती है, वहां विक्रेता पहली भराई के लिए आवश्यक लूब्रिकेंट की मात्रा, बदलने की आवृत्ति, एक वर्ष के निरंतर संचालन के लिए अपेक्षित लूब्रिकेंट की मात्रा और व्यावसायिक नाम (ट्रेड-मार्क), गुणवत्ता और ग्रेड को दर्शाने वाले संस्तुत लूब्रिकेंट के प्रकार का उल्लेख करेगा।
- 19.8.2 यदि विक्रेता विशिष्ट ऑयल की सिफारिश करने में असमर्थ है, तो लूब्रिकेंट की बुनियादी संस्तुत विशेषताओं को दिया जाएगा।
- 19.8.3 विक्रेता भारत में उपलब्ध विभिन्न समकक्ष लूब्रिकेंट सूचित करेगा।
20. गारंटी
- 20.1 सभी सामान या सामग्री पूर्णतया संविदा में उल्लिखित विनिर्देशों, ड्राइंगों, डेटा शीट, अन्य संलग्नकों और शर्तों के अनुसार प्रदान की जाएंगी। ऐसे विनिर्देशों से विचलन या परिवर्तन या इन स्थितियों से कोई परिवर्तन क्रेता / परामर्शदाता की लिखित सहमति के बिना नहीं किया जाएगा, जो किसी आर्डर के शुरू करने से पहले प्राप्त किया जाना चाहिए। संविदा के अनुसार विक्रेता द्वारा आपूर्ति की गई सभी सामग्रियां (चाहे इंजीनियरिंग, डिज़ाइन डेटा या अन्य जानकारी क्रेता / परामर्शदाता द्वारा प्रस्तुत, पुनरीक्षण या अनुमोदित की गई हो) उनके संबंधित प्रकार की सर्वोत्तम गुणवत्ता की गारंटीशुदा होनी चाहिए (जब

तक कि अन्यथा क्रेता / परामर्शदाता द्वारा लिखित में विशेष रूप से अधिकृत हो) और दोषपूर्ण डिजाइन, कारीगरी और सामग्री से मुक्त होगा, तथा पर्याप्त आकार और क्षमता और उचित सामग्रियों का होना चाहिए ताकि सभी मामलों में सभी परिचालन स्थितियों को पूरा किया जा सके, जैसा कि संविदा में निर्दिष्ट किया गया हो।

यदि किसी भी सामग्री के डिजाइन, सामग्री, कारीगरी या प्रचालन विशेषताओं में कोई समस्या या दोष, जो संयंत्र के पहले वाणिज्यिक संचालन की तारीख से बारह (12) महीने से पहले किसी भी समय उत्पन्न होता है जिसके लिए संविदा के अंतर्गत आपूर्ति की गई सामग्री उसका भाग हो, या अंतिम शिपमेंट की तारीख से चौबीस (24) महीने, जो भी अवधि पहले समाप्त हो जाएगी, और विक्रेता को जिसके लिए अधिसूचित किया गया है, विक्रेता अपने स्वयं के खर्च पर और जितनी जल्दी संभव होगा, ऐसे परिवर्तन, मरम्मत और प्रतिस्थापन, जैसा कि सामग्री को विनिर्देशों के अनुसार कार्य करने और दी गई पूर्व गारंटी को पूरा करने के लिए आवश्यक हो, करेगा।

क्रेता / परामर्शदाता, अपने विकल्प पर, ऐसी दोषपूर्ण सामग्रियों को विक्रेता के खर्च पर हटाएगा, जिसमें विक्रेता, क्रेता / परामर्शदाता पर कोई लागत डाले बिना और यथासंभव तुरंत उचित सामग्री प्रस्तुत और स्थापित करेगा। मरम्मत या प्रतिस्थापित की गई सामग्रियों पर विक्रेता द्वारा प्रतिस्थापन/ मरम्मत की तारीख से बारह (12) महीने से कम समय की अवधि के लिए गारंटी दी जाएगी।

यदि आपूर्ति की गई सामग्री विनिर्देशों और / या ड्राइंग शीटों या संविदा की शर्तों के अनुरूप न हो और साइट पर सुधार की आवश्यकता हो, तो क्रेता / परामर्शदाता, विक्रेता को कमी का पूरा विवरण देगा। विक्रेता, क्रेता/ परामर्शदाता के प्रतिनिधियों से मिलने और सहमत होने के लिए ऐसी सूचना के मिलने के सात (7) दिनों के अंदर साइट पर उपस्थित होगा, और कमी को दूर करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा। यदि विक्रेता उपर्युक्त निर्दिष्ट समय के भीतर साइट पर उपस्थिति होने में विफल रहता है, तो क्रेता/ परामर्शदाता तुरंत कार्य/ सामग्रियों में सुधार करेगा और विक्रेता ऐसी समस्या या दोष पर आने वाली सभी लागत और खर्च की प्रतिपूर्ति क्रेता को करेगा।

20.2 उपकरणों की निष्पादन गारंटी

20.2.1 विक्रेता यह गारंटी देगा कि संविदा के अंतर्गत आपूर्ति किए गए उपकरणों का निष्पादन पूरी तरह से विनिर्देशों के अनुरूप हो और संविदा के अंतर्गत निर्दिष्ट कर्तव्यों को पूरा करेगा।

20.2.2 यदि विक्रेता विनिर्देश में निर्धारित उपकरणों के गारंटीशुदा प्रदर्शन को साबित करने में विफल रहता है, तो विक्रेता उसके कारणों की जांच करेगा और गारंटीशुदा प्रदर्शन हासिल करने के लिए आवश्यक सुधार /

संशोधन करेगा। यदि विक्रेता किसी उचित अवधि के भीतर ऐसा करने में विफल रहता है, तो विक्रेता, उपकरणों को बदलेगा और क्रेता पर कोई अतिरिक्त लागत को बोझ डाले बिना नए उपकरणों का गारंटीशुदा प्रदर्शन साबित करेगा।

20.2.3 यदि विक्रेता किसी उचित अवधि के भीतर गारंटी को साबित करने में विफल रहता है, तो क्रेता/ परामर्शदाता को उपकरणों को लेकर उसमें सुधार करने का विकल्प होगा, और यदि संभव हो तो, उपकरण की गारंटी को पूरा करेगा और / या विक्रेता के जोखिम और लागत पर कमी को दूर करने के लिए आवश्यक परिवर्तन करेगा। इस संबंध में क्रेता/ परामर्शदाता द्वारा किए गए सभी व्यय विक्रेता के खाते में डाले जाएंगे।

21. भुगतान की शर्तें

21.1 इस संविदा के अंतर्गत विक्रेता को भुगतान करने की पद्धति संविदा की विशेष शर्तों में निर्दिष्ट की जाएगी।

21.2 इस संविदा के अंतर्गत विक्रेता को भुगतान करने के प्रकार का भुगतान संविदा की विशेष शर्तों में निर्दिष्ट किया जाएगा।

21.3 भुगतान के लिए विक्रेता का अनुरोध लिखित रूप में चालान के साथ क्रेता को दिया जाएगा, जिसमें डिलीवर किए गए सामान और निष्पादित सेवाओं, और प्रस्तुत दस्तावेजों की शिपिंग तथा संविदा में निर्धारित अन्य दायित्वों को पूरा करने का उल्लेख किया जाएगा।

21.4 भुगतान उस मुद्रा या मुद्राओं में किया जाएगा, जिसे विक्रेता की बोली में संविदा मूल्य के रूप में उल्लेख किया गया है, तथा अन्य मुद्राओं में, जैसा कि विक्रेता ने अपनी बोली में उल्लेख किया था कि वह जिस मुद्रा में संविदा के निष्पादन में व्यय करना और भुगतान लेना चाहता है। यदि आवश्यकताओं का बोली मूल्य के प्रतिशत, तथा ऐसी गणना में इस्तेमाल किए गए विनिमय दरों के रूप में उल्लेख किया जाता है, तो ये विनिमय दरें बनाए रखी जाएंगी।

सामान्य टिप्पणी:

i) विदेशी बोलीदाता को सभी विदेशी मुद्रा भुगतान एक अप्रतिसंहरणीय साख-पत्र के माध्यम से जारी किए जाएंगे, जिसे भारत सरकार के राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से खोला जाएगा और इसलिए इसकी पुष्टि नहीं की जाएगी। यदि कोई बोलीदाता पुष्टि करने पर जोर देता है, तो पुष्टि पर लगने वाले शुल्क को उसके द्वारा वहन किया जाएगा। साख-पत्र कुल आर्डर / संविदा मूल्य के 10% की निष्पादन गारंटी सहित आशय-पत्र / फैंक्स की बिना शर्त स्वीकृति की प्राप्ति के बाद 30 दिनों के भीतर जारी किया जाएगा।

ii) एफओटी प्रेषण स्थल (भारत में) पर प्रेषण के लिए, भुगतान क्रेता के बैंक के माध्यम से किया जाएगा। बैंक के माध्यम से भुगतान, जहां भी लागू हो, सामान्य बैंकिंग प्रक्रियाओं के

- अनुसार किया जाएगा।
- iii) सभी मामलों में संबंधित दस्तावेजों की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर भुगतान किया जाएगा।
 - iv) भारतीय बोलीदाताओं के मामले में भुगतान के संबंध में किए गए सभी बैंक शुल्क विक्रेता के खाते में और विदेशी बोलीदाता के मामले में संबंधित खातों में किए जाएंगे।
 - v) जब तक अन्यथा विशेष रूप से बोली दस्तावेज में उल्लेख न किया गया हो, सभी भुगतान उद्धृत मुद्रा में किए जाएंगे।
 - vi) भुगतान में विलंब के लिए ब्याज शुल्क, यदि कोई हो, क्रेता द्वारा नहीं दिया जाएगा।
 - vii) भारतीय निविदादाता के मामले में, बोली दस्तावेज की शर्तों के अनुसार, उनकी अंतर्निहित आयात सामग्री पर सीमा शुल्क के कारण भिन्नता, यदि कोई हो, के लिए स्थल(लों) पर माल प्राप्त होने के बाद बोलीदाता द्वारा अलग से दावा किया जाएगा। हालांकि, बोली दस्तावेज में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार, इस तरह के अंतर के कारण, क्रेता को होने वाला मूल्य लाभ, स्वयं चालान के साथ क्रेता को दिया जाएगा।
 - viii) विदेशी बोलीदाताओं के लिए भारतीय एजेंसियों को एजेंसी कमीशन, यदि कोई हो, का भुगतान स्थल पर सामग्री की प्राप्ति और स्वीकार करने पर भारतीय रुपए के बराबर एजेंट को किया जाएगा।

22. मूल्य

- 22.1 वितरित सामान के लिए विक्रेता द्वारा लिया जाने वाला शुल्क और संविदा के अंतर्गत निष्पादित सेवाएं संविदा द्वारा अधिकृत किसी भी मूल्य समायोजन को छोड़कर, विक्रेता द्वारा अपनी बोली में उद्धृत कीमतों से भिन्न नहीं होंगी।

23. उप-किराए पर देना और सौंपना

- 23.1 ठेकेदार संविदा को या उसके किसी भाग या उसमें निहित अंतरण या उसके हित या लाभ या उससे प्राप्त लाभ को किसी भी तरह से, जो कोई भी हो, क्रेता प्राधिकारी की लिखित रूप में पूर्व सहमति के बिना उप-किराए पर नहीं देगा, उसका अंतरण नहीं करेगा या नहीं सौंपेगा। बशर्ते कि किसी बात के होते हुए, संविदाकार संविदा के अंतर्गत किसी भी दायित्व, कर्तव्य या जिम्मेदारी से मुक्त नहीं होगा।

24. समय संविदा का आधार

- 24.1 संविदा में निर्धारित अनुसार वस्तुओं / सेवाओं की डिलीवरी / पूरा होने का समय और तारीख संविदा का आधार मानी जाएगी।

25. क्रेता के निष्पादन में विलंब

- 25.1 यदि निर्दिष्ट डिलीवरी अनुसूची का पालन नहीं किया जाता है या वस्तुओं के निर्माण या आपूर्ति की प्रगति संतोषजनक नहीं है या प्रगति अनुसूची के अनुसार नहीं है तो क्रेता को यह अधिकार है कि वह:
- i) विलंब की अवधि के लिए वस्तुओं को किसी अन्य जगह से किराए पर ले, जो क्रेता की राय में विलंब होने वाली वस्तुओं के समान प्रयोजन को पूरा

करेगा और विक्रेता किराया शुल्क की किसी सीमा के बिना भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा; या

- ii) रद्द करने के प्रभार की देनदारी के बिना संविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से रद्द कर दें। ऐसी स्थिति में, क्रेता सामान को अन्य जगह से खरीदे, जो क्रेता की राय उस प्रयोजन को पूरा करेगा, जिसके लिए संविदा को रद्द किया गया है और विक्रेता ऐसे प्रतिस्थापन की लागत और संविदा में संबंधित वस्तुओं के लिए निर्धारित मूल्य के बीच अंतर के लिए बिना किसी सीमा के जिम्मेदार होगा; या
- iii) उपर्युक्त (I) के द्वारा प्रतिस्थापन वस्तुओं को किराए पर लेगा और यदि इसके बाद भी आर्डर किया गया माल प्रदान नहीं किया जाता है, तो वह उपर्युक्त (ii) द्वारा आर्डर को आंशिक या पूर्ण रूप से रद्द करेगा।

25.2 विक्रेता या उसके उप-संविदाकार द्वारा कोई भी अनुपयुक्त विलंब होने पर, विक्रेता संविदा की अन्य किसी शर्त के पूर्वाग्रह के बिना, किसी भी या सभी शर्तों पर निम्नलिखित प्रतिबंध लगाए जाने के लिए उत्तरदायी होगा: संविदा की निष्पादन गारंटी को ज्वल करना, डिलीवरी में विलंब के लिए मूल्य में कमी करना और चूक होने पर संविदा को समाप्त करना।

26. विलंब से की गई डिलीवरी के लिए मूल्य कम करने की अनुसूची

26.1 अनुच्छेद-29 के अधीन, यदि विक्रेता किसी भी समय संविदा में निर्दिष्ट समय अवधि(यों) के अंतर्गत किसी या सभी वस्तुओं की डिलीवरी या सेवाएं प्रदान करने में विफल रहता है तो क्रेता संविदा के अंतर्गत अपने अन्य समाधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, संविदा की कीमत से कटौती कर सकता है, जिसकी राशि की बाद में संशोधन किए जाने के अधीन, संविदा मूल्य के आधार पर गणना की जाएगी।

26.1.1 कटौती निम्नलिखित फार्मूले के अनुसार की जाएगी:

उपकरण / सामग्रियों की डिलीवरी में विलंब होने या पूरा होने में विलंब के मामले में, कुल संविदा मूल्य को प्रति पूर्ण सप्ताह कुल संविदा मूल्य के 1/2% (आधा प्रतिशत) तक या उसके हिस्से को कुल संविदा मूल्य का प्रति सप्ताह अधिकतम 5% (पांच प्रतिशत) तक घटा दिया जाएगा।

26.2 विक्रेता की ओर से डिलीवरी में देरी के मामले में, चालान / दस्तावेज मूल्य को विलंब के अनुपात में कम किया जाएगा और भुगतान को तदनुसार जारी किया जाएगा।

26.3 यदि चालान का मूल्य विलंब के अनुपात में कम नहीं किया जाता है, तो क्रेता इसकी राशि को विक्रेता द्वारा देय राशि या विक्रेता द्वारा दी जाने वाली किसी भी राशि या निष्पादन गारंटी के खिलाफ की गई वसूली में से घटा सकता है।

विक्रेता और क्रेता दोनों सहमत हैं कि मूल्य में कटौती का उपरोक्त प्रतिशत हानि/ क्षति का वास्तविक पूर्व अनुमान है जिसे क्रेता को विक्रेता द्वारा किए गए विलंब / करार भंग करने के कारण भुगतान पड़ा होगा और उक्त राशि ऐसे करार भंग / विलंब से हुई वास्तविक हानि / या क्षति

के किसी प्रमाण के बिना देय होगी। मूल्य में कटौती की प्रयोज्यता के मामले में क्रेता का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

27. रद्द करना, रद्द उपकरण को हटाना और बदलना

- 27.1 निरीक्षक द्वारा क्रेता के कार्यों पर प्राथमिक निरीक्षण, साइट पर अंतिम निरीक्षण पर उपकरण को रद्द करने या वारंटी प्रावधानों के अंतर्गत दाव करने के क्रेता / परामर्शदाता के दावे पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।
- 27.2 यदि उपकरण विनिर्देश के अनुरूप नहीं हैं या विनिर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहते हैं या अन्यथा संतोषजनक नहीं है तो क्रेता / परामर्शदाता को उपकरण / सामग्री या उसके किसी भाग को अस्वीकार करने का अधिकार होगा और निर्धारित समय के भीतर इसे मुफ्त में बदलने की मांग कर सकता है जिसके पूरा न होने पर विक्रेता की लागत और जोखिम पर अपनी आवश्यकताओं को कहीं से भी पूरा कर सकेगा।
- 27.3 इस खंड में कुछ भी या किसी भी तरह से संविदा के अंतर्गत और/या किसी अधिकार से क्रेता को वंचित नहीं करेगा, जो अन्यथा विक्रेता को किसी भी तरह के दोष या कमियों के संबंध में या किसी भी तरह से संविदा के अंतर्गत अपने दायित्वों से मुक्त नहीं करेगा।
- 27.4 क्रेता / परामर्शदाता द्वारा रद्द उपकरण को आपूर्ति के खिलाफ प्राप्त राशि को चुकाने के बाद विक्रेता द्वारा 14 दिनों के नोटिस के भीतर अपने खर्च पर हटाया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में, जो कोई भी हो, क्रेता उपकरण को हुई किसी क्षति या नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- 27.5 उपकरणों के रद्द होने के मामले में, क्रेता को ठेकेदार के किसी भी चालान से क्रेता के पास लंबित बिलों या वैकल्पिक तरीके(कों) से लंबित राशि, यदि कोई हो, को वसूलने का अधिकार होगा।

28. संविदा समाप्त करना

- 28.1 चूक होने पर समाप्ति
- 28.1.1 क्रेता, संविदा के उल्लंघन के लिए किसी अन्य उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विक्रेता को अग्रेषित चूक के लिखित नोटिस द्वारा पूरे या कुछ हिस्से की संविदा को समाप्त कर सकता है:
- क) यदि विक्रेता संविदा में निर्दिष्ट समय अवधि(यों) के भीतर किसी भी या सभी वस्तुओं को डिलीवर करने में विफल रहता है; या
- ख) यदि विक्रेता संविदा के अंतर्गत किसी भी अन्य दायित्व(वों) का पालन करने में विफल रहता है, और
- ग) यदि उपरोक्त परिस्थितियों में, विक्रेता, क्रेता से चूक का नोटिस प्राप्त होने के 30 दिनों की अवधि (या ऐसी लंबी अवधि, जिसे क्रेता लिखित रूप में प्राधिकृत कर सकता है) में खराबी में सुधार नहीं करता है।
- 28.1.2 यदि क्रेता अनुच्छेद 28.1.1 के अनुसार, संविदा के पूरे या कुछ भाग को समाप्त कर देता है, तो क्रेता ऐसी शर्तों पर और डिलीवर न की गई इन वस्तुओं को ऐसे ढंग से, जैसा वह उपयुक्त समझे, खरीद सकता है, और

विक्रेता को ऐसी समान वस्तुओं की कोई भी अतिरिक्त लागत क्रेता को देनी होगी। तथापि, विक्रेता समाप्त न की गई सीमा तक संविदा का निष्पादन जारी रखेगा।

28.1.3 अप्रत्याशित स्थितियों को छोड़कर, संविदा को यहां निर्दिष्ट (खंड 28 के अंतर्गत) या संविदा की अवधि समाप्त होने के कारण संविदा को समाप्त करने पर, विक्रेता को गेल गैस लिमिटेड द्वारा समाप्ति की तारीख से तीन वर्ष के लिए अवकाश पर रखा जाएगा [अर्थात् न तो किसी भी प्रकार की निविदा पर कोई विचार किया जाएगा और न ही उनके प्रस्ताव पर किसी भी चालू निविदा के खिलाफ गेल गैस लिमिटेड द्वारा विचार किया जाएगा, जहां गेल गैस और उस विशिष्ट विक्रेता (बोलीदाता के रूप में) के बीच संविदा को अंतिम रूप नहीं दिया गया है]।

28.2 दिवालिया होने पर संविदा समाप्ति

28.2.1 यदि विक्रेता दिवालिया हो जाता है तो क्रेता, किसी भी समय, विक्रेता को मुआवजा दिए बिना, विक्रेता को लिखित नोटिस देकर संविदा समाप्त कर सकता है, बशर्ते कि इस तरह की समाप्ति, कार्रवाई या सुधार के अधिकार पर प्रभाव डाले बिना होगी जो इसके बाद क्रेता को प्राप्त हैं या इसके बाद प्राप्त होंगे।

28.3 सुविधा के अनुसार समाप्ति

28.3.1 क्रेता, विक्रेता को लिखित सूचना द्वारा पूरी संविदा या उसके किसी भाग को अपनी सुविधा अनुसार किसी भी समय समाप्त कर सकता है। समाप्ति की सूचना में यह निर्दिष्ट किया जाएगा कि समाप्ति क्रेता की सुविधा के अनुसार है, जिसे संविदा के किसी विशिष्ट कार्य के निष्पादन के लिए समाप्त किया जाता है और किस तारीख से ऐसी समाप्ति प्रभावी हो जाएगी।

28.3.2 ऐसी वस्तुएं, जो पूर्ण हैं, और विक्रेता द्वारा समाप्ति नोटिस की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर शिपमेंट के लिए तैयार हैं, उसे संविदा की शर्तों और मूल्यों पर क्रेता द्वारा खरीदा जाएगा। शेष वस्तुओं के लिए, क्रेता निम्नलिखित का विकल्प चुन सकता है:

- क) किसी भी भाग को पूरा करना और संविदा के नियमों और मूल्यों पर डिलीवर करना, और / या
- ख) शेष माल को रद्द करना और विक्रेता को आंशिक रूप से पूर्ण माल के लिए एक सहमत राशि देना और पहले से विक्रेता द्वारा प्राप्त सामग्रियों और भागों के लिए भुगतान करना।

29. अप्रत्याशित परिस्थितियां

29.1 अप्रत्याशित परिस्थितियां का अर्थ निम्नलिखित तक सीमित होगा:

- क) युद्ध / शत्रुता
- ख) दंगा या नागरिक उपद्रव
- ग) भूकंप, बाढ़, तूफान, बिजली गिरना या अन्य प्राकृतिक भौतिक आपदा।

घ) सरकार या अन्य वैधानिक निकायों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध, जिससे विक्रेता द्वारा संविदा का निष्पादन अवरूद्ध होता हो या उसमें विलंब होता हो।

विक्रेता, क्रेता / परामर्शदाता को स्थानीय चैंबर ऑफ कॉमर्स या संवैधानिक प्राधिकारियों द्वारा विधिवत प्रमाणित पंजीकृत पत्र द्वारा ऐसी अप्रत्याशित परिस्थितियों के शुरू होने के कारण विलंब होने और इन परिस्थितियों के समाप्त होने की सूचना सात (7) दिनों के अंदर देगा। यदि विलंब अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण एक माह से अधिक अवधि तक चलता है, तो क्रेता/परामर्शदाता को संविदा को रद्द करने का अधिकार होगा, और ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 28.0 के अंतर्गत उल्लिखित समापन के प्रावधान लागू होंगे।

अप्रत्याशित परिस्थितियों से हुए विलंब के लिए, विक्रेता अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण होने वाली विलंब अवधि की सीमा तक समय बढ़ाने का दावा नहीं करेगा और न ही क्रेता/ परामर्शदाता तथा न ही विक्रेता अतिरिक्त लागत का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, बशर्ते कि इस बात पर परस्पर सहमति हुई हो कि अप्रत्याशित परिस्थितियां वास्तव में मौजूद थीं।

विक्रेता अपनी बोली प्रस्तुत करने के समय उनके कार्यों में प्रचलित अप्रत्याशित परिस्थितियों की सीमा को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करेगा और यह कि इन पर उनकी कोटेशन में विचार किया गया हो अथवा नहीं। किसी भी अप्रत्याशित परिस्थितियों के होने पर, विक्रेता या क्रेता इस आदेश के अंतर्गत अपने दायित्वों को निष्पादित करने में हुए विलंब के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे और डिलीवरी की तारीख विक्रेता के लिए बढ़ा दी जाएगी, और, जैसा कि कहीं और उल्लेख किया गया है, विलंब से की गई डिलीवरी के लिए मूल्य में कोई कमी नहीं की जाएगी।

30. विवादों / मध्यस्थ पर निर्णय

- 30.1 क्रेता और विक्रेता, संविदा के अधीन या संविदा के संबंध में उनके बीच उत्पन्न किसी असहमति या विवाद को अनौपचारिक वार्ता द्वारा सौहार्दपूर्वक ढंग से सुलझाने का हर संभव प्रयास करेंगे।
- 30.2 यदि ऐसी अनौपचारिक वार्ता शुरू होने के तीस दिनों के बाद, क्रेता और विक्रेता सौहार्दपूर्ण ढंग से किसी संविदा के विवाद को हल करने में असमर्थ रहते हैं तो कोई पक्ष विवाद को उसमें विनिर्दिष्ट अनुसार औपचारिक प्रणाली को समाधान के लिए भेज सकता है।
- 30.3 विधि निर्माण
संविदा, सभी मामलों में, विद्यमान भारतीय कानूनों के अनुसार भारतीय संविदा के रूप में लागू मानी जाएगी और नई दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेश में स्थित विधि न्यायालय के अधीन होगी और संदर्भित किया जाएगा।
- 30.4 मध्यस्थता
सभी विवादों, मतभेदों, या पार्टियों के बीच दावों (उन मामलों को छोड़कर, जहां प्रभारी अभियंता का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी माना

जाता है) जिन्हें उचित समय के भीतर परस्पर रूप से सुलझाया नहीं जा सकता है, को एकमात्र मध्यस्थ द्वारा मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा। क्रेता गेल गैस लिमिटेड) एकमात्र मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए तीन स्वतंत्र और प्रतिष्ठित व्यक्तियों के एक पैनल में से विक्रेता को किसी एक को चुनने का सुझाव देगा।

मध्यस्थों के पैनल का सुझाव देने की सूचना के प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर विक्रेता द्वारा एकमात्र मध्यस्थ का चयन करने में विफल रहने की स्थिति में, अन्य पक्षकार द्वारा एकमात्र मध्यस्थ का चयन करने का अधिकार समाप्त हो जाएगा और क्रेता को एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आगे कार्रवाई करने का अधिकार होगा। एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति पर क्रेता का निर्णय अंतिम और पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

एकमात्र मध्यस्थ का निर्णय सभी पक्षकारों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा और जब तक कि एकमात्र मध्यस्थ द्वारा अन्यथा निर्देशित / निर्णय न दिया गया हो, मध्यस्थता की कार्यवाही की लागत पक्षकारों द्वारा समान रूप से साझा की जाएगी। मध्यस्थता की कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी और यह स्थल नई दिल्ली, भारत में होगा।

उपर्युक्त के अधीन, (भारतीय) मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधान और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम लागू होंगे। इस संविदा से संबंधित सभी मामले दिल्ली राज्य (भारत) में स्थित न्यायालयों के विशिष्ट क्षेत्राधिकार के अधीन हैं।

विक्रेता कृपया नोट करें कि भारतीय संसद द्वारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 अधिनियमित किया गया था और यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून (यूएनसीआईटीआरएएल मॉडल कानून) पर संयुक्त राष्ट्र आयोग पर आधारित है, जिसे के मध्यस्थ संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मध्यस्थता केंद्रों के साथ व्यापक परामर्श के बाद तैयार किया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प 31/98 ने 15 दिसंबर 1996 को यूएनसीआईटीआरएएल मध्यस्थता नियमों को अपनाया।

तथापि संविदा के अंतर्गत कार्य, मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान जारी रहेगा और ऐसी कार्यवाही के कारण विक्रेता को देय किसी भुगतान को रोका नहीं जाएगा।

31. आधिकारिक भाषा

31.1 संविदा अंग्रेजी भाषा में लिखी जाएगी, जैसा कि बोलीदाता को निर्देश में क्रेता/ परामर्शदाता द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। सभी साहित्य, पत्राचार और अन्य दस्तावेज, जो पार्टियों द्वारा की गई संविदा से संबंधित हैं, अंग्रेजी भाषा में लिखा जाएगा। अन्य भाषा में मुद्रित साहित्य पर केवल विचार किया जाएगा, यदि इसके साथ अंग्रेजी अनुवाद संलग्न है। व्याख्या के प्रयोजनों के लिए, अंग्रेजी अनुवाद सभी पक्षकारों पर अधिशासित और बाध्यकारी होगा।

32. नोटिस

32.1 संविदा के अनुसार एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को दिए गए किसी भी नोटिस की लिखित रूप में या टेलीग्राम या फैक्स, टेलेक्स/ केबल द्वारा

पुष्टि की जाएगी।

- 32.2 नोटिस प्रदान करने पर या नोटिस की प्रभावी तारीख से, जो भी बाद में हो, नोटिस प्रभावी होगा।
- 33. कर और शुल्क**
- 33.1 विदेशी विक्रेता पूरी तरह से सभी करों, डाक टिकट, लाइसेंस शुल्क, और अन्य ऐसे शुल्क देने के लिए जिम्मेदार होगा जो क्रेता देश के बाहर लगाए गए हैं।
- 33.2 क्रेता के लिए संविदागत माल की डिलीवरी तक सभी घरेलू करों, शुल्कों, लाइसेंस शुल्क इत्यादि के लिए घरेलू विक्रेता पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। तथापि, तैयार उत्पादों पर बिक्री कर और उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति क्रेता द्वारा की जाएगी।
- 33.3 विदेशी विक्रेता पर क्रेता द्वारा अनुदेशित आयातित वस्तुओं के लिए भारत में देय सीमा शुल्क क्रेता दिया जाएगा और भुगतान किया जाएगा।
- 33.4 संविदा के अंतर्गत विदेशी विक्रेता द्वारा प्रदान की गई पर्यवेक्षी सेवाओं के संबंध में देय कोई आयकर भारतीय आयकर अधिनियम के अनुसार होगा और उसे विक्रेता द्वारा वहन किया जाएगा। बोलीदाताओं / विक्रेताओं को इन करों की राशि का पता करके अपने बोली मूल्य में शामिल करना होगा।
- 34. बही खाते और रिकॉर्ड**
- 34.1 विक्रेता, संविदा के संबंध में पर्याप्त बही खाते और रिकॉर्ड रखेगा और निष्पादन गारंटी की समाप्ति तक संविदा की शर्तों के दौरान उन्हें क्रेता/परामर्शदाता या उनके अधिकृत एजेंटों या प्रतिनिधियों द्वारा निरीक्षण और लेखा परीक्षा के लिए उपलब्ध कराएगा। नियत मूल्य (एकमुश्त या यूनिट मूल्य) संविदा, लागत प्रतिपूर्ति योग्य वस्तुओं, जैसे कि वृद्धि और समापन दावों, परिवहन और तुलनीय आवश्यकताओं के अलावा लेखा-परीक्षा के अधीन नहीं होगा।
- 35. परमिट और प्रमाण-पत्र**
- 35.1 विक्रेता, उस स्थान पर जहां कोई भी कार्य किया जाना है, वहां लागू सभी कानूनों, विनियमों, अध्यादेशों और अन्य नियमों के अनुसार, सभी आवश्यक परमिट, प्रमाण-पत्र और लाइसेंसों को अपने खर्च पर प्राप्त करेगा, और विक्रेता, क्रेता और/या परामर्शदाता को ऐसी देनदारियों या दंड से मुक्त रखने पर सहमति देता है जो ऐसे कानूनों, विनियमों, अध्यादेशों या अन्य नियमों के किसी भी निर्दिष्ट या स्थापित उल्लंघन के कारण उस पर लगाया जा सकता है। क्रेता, विक्रेता के कार्मिक को संविदा के संबंध में भारत में किसी भी कार्य को करने के लिए विक्रेता के कार्मिक को आवश्यक परमिट उपलब्ध कराएगा।
- 36. सामान्य**
- 36.1 यदि संविदा की सामान्य शर्तों में निर्धारित निबंधन एवं शर्तों का संविदा में निर्धारित शर्तों निबंधन और शर्तों से विचलन होता है, तो उस स्थिति में, बाद वाली शर्तें प्रभावी मानी जाएंगी।
- 36.2 अनुदेशों का अनुपालन न करने के कारण हानि संविदा निष्पादन के संबंध में क्रेता/परामर्शदाता द्वारा दिए गए निर्देशों

का विक्रेता द्वारा दृढ़ता से पालन न करने के कारण क्रेता को हुए नुकसान या क्षतिपूर्ति को विक्रेता से वसूला जाएगा।

36.3 बकाया राशि की वसूली

सभी लागत, नुकसान या व्यय, जो क्रेता / परामर्शदाता द्वारा चुकाया जाएगा, जिसके लिए संविदा के अंतर्गत विक्रेता उत्तरदायी है, को क्रेता (वह एतद्वारा अपरिवर्तनीय रूप से अधिकृत किया गया है) द्वारा इस संविदा या अन्य संविदाओं के अंतर्गत और / या विधि द्वारा या अन्यथा कार्रवाई द्वारा विक्रेता से वसूला जाएगा। यदि विक्रेता के अनुसार वसूली योग्य राशि को पुनः प्राप्त करने के लिए राशि पर्याप्त नहीं है, तो विक्रेता, क्रेता को मांग करने पर, शेष राशि का भुगतान करेगा।

36.4 भुगतान, आदि से क्रेता के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे, क्रेता द्वारा खाते में किसी भी राशि का न तो भुगतान किया गया है और न ही क्रेता / परामर्शदाता द्वारा दी गई कार्य समापन की तारीख को बढ़ाने से विक्रेता के खिलाफ क्रेता के अधिकार प्रभावित होंगे या न ही विक्रेता संविदा की देय पूर्ति के अपने दायित्व से मुक्त हो जाएगा।

36.4 अंतिम तारीख

निष्पादन गारंटी की समाप्ति के 90 दिनों के बाद, इस संविदा पर किसी दावे या पत्राचार पर विचार क्रेता / परामर्शदाता द्वारा विचार नहीं किया जाएगा (अंतिम विस्तार की तारीख, यदि कोई हो, से)

36.6 पैराग्राफ का शीर्षक

इन शर्तों में पैराग्राफ का शीर्षक इसके निर्माण को प्रभावित नहीं करेगा।

37. आयात लाइसेंस

37.1 इस दस्तावेज़ के अंतर्गत शामिल आयात के लिए किसी आयात लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।

38. मूल्य में उतार-चढ़ाव शर्त (फॉल्स क्लॉज)

38.1 आपूर्तिकर्ता द्वारा दिए गए आदेश के अंतर्गत आपूर्ति की गई सामग्री हेतु लिया गया मूल्य किसी भी स्थिति में न्यूनतम मूल्य, जिस पर आपूर्तिकर्ता या उसके एजेंट/ प्रिंसिपल / डीलर, जो भी मामला हो, से अधिक नहीं होगा, जिस मूल्य पर किसी भी व्यक्ति / संगठन को समान विवरण की सामग्री बेचता है, जिसमें आर्डर की मुद्रा के लिए क्रेता या केंद्र सरकार का कोई विभाग या राज्य सरकार का कोई विभाग या केंद्र या राज्य सरकार का कोई सांविधिक उपक्रम, जैसा कि मामला हो, शामिल होगा।

38.2 यदि इस अवधि के दौरान किसी भी समय, आपूर्तिकर्ता या उसके एजेंट / प्रिंसिपल / डीलर, जैसा भी मामला हो, किसी भी व्यक्ति / संगठन को ऐसी सामग्री को बेचने के लिए विक्रय मूल्य को कम करता है, जिसमें क्रेता या केंद्र सरकार या राज्य सरकार का विभाग, जैसा भी मामला हो, आदेश के अंतर्गत लिए जाने वाले मूल्य से कम मूल्य पर विक्रय करने का प्रस्ताव करता है, तो वह तत्काल उस क्रय प्राधिकरण को बिक्री में कमी या बिक्री या प्रस्ताव को तुरंत अधिसूचित करेगा, जिसने इस आदेश को

जारी किया है, और ऐसी कमी या बिक्री या बिक्री का प्रस्ताव लागू होने की तारीख के बाद से आपूर्ति की गई सामग्री के आदेश के अंतर्गत देय मूल्य तदनुसार कम हो जाएगा।

तथापि, उपर्युक्त शर्त निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी:

- क) संविदाकार / आपूर्तिकर्ता द्वारा निर्यात करने पर, या
- ख) सामान्य प्रतिस्थापन के लिए गए मूल्यों से कम मूल्य पर मूल उपकरण के रूप में वस्तुओं की बिक्री।
- ग) वस्तुओं की बिक्री, जैसे औषधियां, जिनकी समाप्ति तिथि होती है।

38.3 आपूर्तिकर्ता, इस आदेश के अनुसरण में की गई आपूर्तियों के भुगतान के लिए प्रत्येक बिल के साथ संबंधित भुगतान प्राधिकरण को निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा:-

"मैं / हम प्रमाणित करते हैं कि इस आदेश के अंतर्गत गैल गैस को आपूर्ति की गई मदों/ वस्तुओं / सामग्रियों की बिक्री मूल्य में कोई कमी नहीं हुई है और मेरे/हमारे द्वारा ऐसी मदों/ वस्तुओं/ सामग्रियों को किसी भी व्यक्ति / संगठन, जिसमें केंद्र सरकार का कोई विभाग या राज्य सरकार का विभाग या केंद्र या राज्य सरकार का कोई वैधानिक उपक्रम, जैसा भी मामला हो, को नहीं बेचा गया है/ बेचने का प्रस्ताव नहीं किया गया है, जो बिल की तारीख को/ आदेश की मुद्रा के दौरान, जो भी बाद में हो, आदेश के अंतर्गत गैल गैस से लिए गए मूल्य से कम है"।

उपर्युक्त उप-पैरा 38.2 के उप-खंड (क), (ख) और (ग) के अंतर्गत मदों/ वस्तुओं / सामग्रियों की श्रेणियों की मात्रा को छोड़कर, ऐसा प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाएगा, जिसका विवरण आपूर्तिकर्ता को दिया जाएगा।

39. प्रचार और विज्ञापन

39.1 विक्रेता, क्रेता / परामर्शदाता की लिखित अनुमति के बिना क्रेता / परामर्शदाता या क्रेता / परामर्शदाता से संबद्ध किसी भी कंपनी को या गंतव्य स्थल या किसी भी प्रकाशन, प्रचार या विज्ञापन मीडिया में संविदा के अंतर्गत दिए गए सामान या सेवाओं के विवरण के संदर्भ में कोई संदर्भ नहीं देगा।

40. आदेश को दोहराना

40.1 क्रेता को यूनिट मूल्य या अन्य निबंधन एवं शर्तों में बिना किसी परिवर्तन के आदेश के 6 माह के अंदर पूर्ण आदेश मूल्य के 50% तक आदेश को दोहराने का अधिकार होगा।

41. जवाबदेही की सीमा

41.1 इसमें निहित कुछ भी विपरीत होने के बावजूद, करार के अंतर्गत विक्रेता की कुल पूर्ण देयता या अन्यथा करार / आदेश मूल्य के 100% तक सीमित होगा। तथापि, कोई भी पक्षकार किसी अप्रत्यक्ष और परिणामी क्षति, मुनाफे का नुकसान या उत्पादन का नुकसान के लिए दूसरे पक्षकार के प्रति जवाबदेह नहीं होगी।